-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.10.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा पानी की मोटर चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को सूचना के 24 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से लगभग 2.5 लाख रुपये कीमत की चोरी की मोटर बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, लूट जैसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों पर कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.10.2024 को थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा पानी की मोटर चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 07.10.2024 को खैराडा रेलवे फाटक पर बने रहे अण्डर पास पर काम करने वाले मजदूर बृजेश कुमार सिंह ने थाना मटौन्ध पर आकर सूचना दी कि दिनांक 01.08.2024 की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा अण्डर पास से पानी निकालने के लिये लगी मोटर को चोरी कर ले गये काफी खोजबीन करने के बाद भी पानी की मोटर नहीं मिली। इस सम्बन्ध में थाना मटौन्ध पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा सूचना के 24 घण्टे के भीतर अभियुक्तों की पहचान करते हुए आज दिनांक 08.10.2024 को ग्राम खैराडा से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशादेही पर पानी की मोटर बरामद हुई है।

बरामदगी-

- 01 अदद् चोरी की पानी की मोटर (कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामबाबू पाल पुत्र कल्लू पाल निवासी खैराडा थाना मटौन्ध जनपद बांदा।
2. अंशु पाल उर्फ अंग्रेज पुत्र सिद्धगोपाल निवासी खैराडा थाना मटौन्ध जनपद बांदा।
3. संजय वर्मा पुत्र बाबू वर्मा निवासी खैराडा थाना मटौन्ध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग -

- मु0अ0स0 145/24 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना मटौन्ध जनपद बांदा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष मटौन्ध श्री संदीप कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री मो0 अकरम
3. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह
4. हे0कां0 नीरज यादव
5. कां0 अजय कुमार
6. कां0 धनन्जय यादव
7. कां0 महेन्द्र प्रताप सिंह